

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 3248/11-सी- FP/UP/Others/147545/2021, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 19, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद मथुरा में एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) वर्षा जल की निकासी हेतु आर०सी०सी० नाला निर्माण में प्रभावित 0.646 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.0875 हे० आरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त चिन्हित वनस्वरूप क्षेत्र की 0.2014 हे० वनभूमि कुल 0.9349 हे० वनभूमि बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव FP/UP/Others/147545/2021

संदर्भ- भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०९/२६/२०२२/एफ०सी०/४३९, दिनांक-०१.०९.२०२२

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक-3679/14-1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

18

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 3248/11-सी FP/UP/Others/147545/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मथुरा।
- 3- परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरी) वाटर वर्क्स, कम्पाउण्ड, कृष्णाननगर, मथुरा।

18

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 3248/11-सी FP/UP/Others/147545/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,,
उ०प्र०, लखनऊ।

5290
14-1
1/03/2023

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक

/14-1(147545/2021), आगरा, दिनांक. २५ फरवरी, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :-

जनपद मथुरा में एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनो ग्राम आन्वीर, जतीपुरा एवं राधाकृष्ण देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) वर्षा जल की निकासी हेतु आर०सी०सी० नाला निर्माण में प्रभावित 0.646 हे० सरंक्षित वनभूमि एवं 0.0875 हे० आरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त चिन्हित वस्वरूप क्षेत्र की 0.2014 हे० वनभूमि कुल 0.9349 हे० वनभूमि बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या-08/यू०पी०/09/28/2022/एफ०सी०/439, दिनांक 01.09.2022 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक FP/UP/Others/147545/2021, दिनांक 02.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव की भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, शर्तों की अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा के पत्रांक 4268/14-1 दिनांक 21.01.2023 (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, के आधार पर बिन्दुवार आख्या निम्नवत है :-

1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	बिन्दु संख्या-1 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा वनभूमि का लीगल स्टेटस नहीं बदलने के सम्बन्ध में जो वचनबद्धता उपलब्ध करायी है जो संलग्नक-3 के रूप में संलग्न है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in area 1.5809 ha. (0.2889 ha. NFL & 1.292 ha. DFL) in madaur Gram Samaj Gata No. 2866y, village-Madaur, Range Baldev, Tehsil-Mahavan, District-Mathura (0.2889 ha. NFL), Reserve Forest of Khairi Forest Bolck, Village Khairi, Range Kosi, District Mathura (1.292 ha. DFL) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	बिन्दु संख्या-2 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा अवन्त वनभूमि में एवं 0.2889 हे० गैर वनभूमि क्षतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्ष के अनुरक्षण हेतु मु०-11,94,500.00 की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से Uttar Pradesh CAMPA IFSC UBIN0996335, A/c No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया जिसके चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री प्रति जो संलग्नक-01 व 02 के रूप में संलग्न है। परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के कार्यालय की पत्र संख्या-90/गोवर्धन ड्रेनेज/02, दिनांक 18.01.2023 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी खतीनी में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त के अनुसार वांछित भूमि का अमलदरामद कर खतीनी पर जिला प्रशासन के द्वारा अंकित कर दिया गया है जिसकी प्रति संलग्नक-2व है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	बिन्दु संख्या-3 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा अवन्त वनभूमि में एवं 1.292 हे० अवन्त वनभूमि एवं 0.2889 हे० गैर वनभूमि क्षतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्ष के अनुरक्षण हेतु मु०-11,94,500.00 की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से Uttar Pradesh CAMPA IFSC UBIN0996335, A/c No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया जिसके चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री प्रति जो संलग्नक-01 व 02 के रूप में संलग्न है।
4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.9349 ha. forest area to be	बिन्दु संख्या-4 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर

F/C/A
31/1/23

20
28/1/2023

	dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pr.II) dated 18/09/2003, as well as a letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009, Revised amount of NPV as applicable as per order dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	09349 हे० का एन०पीवी० (As per revised NPV orders of MoEF&CC dt. 06.01.2022 & 19.01.2022) रु० 8,95,429.00 की धनराशि को Uttar Pradesh CAMPA IFSC UBIN0996335, A/c No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया जिसके बालान एवं गेमेण्ट हिस्ट्री प्रति जो संलग्नक-01 व 02 के रूप में संलग्न है।
5.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	बिन्दु संख्या-5 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-05 है।
6.	Certificate of no violation of FCA from concerned DFO shall be provided.	बिन्दु संख्या-6 के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक चानिकी मथुरा से वांछित प्रमाण-पत्र संलग्नक-06 के रूप में संलग्न है।
7.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	बिन्दु संख्या-7 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा उपलब्ध कराया गया एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र की प्रति संलग्नक-07 के रूप में संलग्न है।
8.	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.	बिन्दु संख्या-8 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-08 के रूप में संलग्न है।
9.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	बिन्दु संख्या-9 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण पर Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है।
10.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. की	बिन्दु संख्या-10 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-09 के रूप में संलग्न है।
11.	No labour camp shall be established on the forest land.	बिन्दु संख्या-11 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-10 के रूप में संलग्न है।
12.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	बिन्दु संख्या-12 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-11 के रूप में संलग्न है।
13.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	बिन्दु संख्या-13 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-12 के रूप में संलग्न है।
14.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	बिन्दु संख्या-14 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-13 के रूप में संलग्न है।
15.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेंज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर मथुरा के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त संश्लेषित वन

		ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-14 के रूप में संलग्न है।
17.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	विन्दु संख्या-17 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-15 के रूप में संलग्न है।
18.	No trees felling shall be done without prior approval of Hon'ble Supreme Court.	विन्दु संख्या-18 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-16 के रूप में संलग्न है।
19.	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before commencing of works.	विन्दु संख्या-19 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-17 के रूप में संलग्न है।
20.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoFF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018.	विन्दु संख्या-20 के अनुपालन में
21.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	विन्दु संख्या-21 के अनुपालन में
22.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in).	विन्दु संख्या-22 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा समस्त धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से Uttar Pradesh CAMPA IFSC UBIN0996335, A/c No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया जिसके चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री प्रति जो संलग्नक-01 व 02 के रूप में संलग्न है।
23.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	विन्दु संख्या-23 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा समस्त सूचानाओं को भारत सरकार के https://parivesh.nic.in पर अपलोड कर दी गयी है।

प्रस्ताव की शर्तों से सम्बन्धित अभिलेख, वचनबद्धता आदि 03 प्रतियों में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राकेश चन्द्र)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 3679 / 141 समदिनांकित।

1- प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा को उनके पत्र दिनांक 21.01.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, जल निगम, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश चन्द्र)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

